जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रमाण पत्र लगाकर कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से भी लिखा जाये न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
उल्लंघित विषय पत्र यदि छूटे में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाये जिससे सुविधा हो।

दूरभाष : कुलसचिव
दूरभाष : 0091-0751-2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2342769
E-mail : jurea_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5626

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पत्र क्रमांक (16) के निर्णयानुसार जी.आई.टी.एम. ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए., एवं बी.सी.ए.पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय द्वारा परिनियम 28 के अन्तर्गत बी.बी.ए. / बी.सी.ए. हेतु पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्तियां (प्रत्येक के लिए 5-5 शिक्षक) की जावे।
2. प्राचार्य एवं गै.-शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियां 3 माह के भीतर की जावे।
3. 50,000/- रू. मूल्य की पुस्तकें क्रय की जावें।
4. सत्र 2011-12 के सम्बद्धता पत्र में लगाई गई शर्तों की पूर्ति की जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जी.आई.टी.एम. ग्वालियर
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/मोपजीए) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. उपनियंत्रक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)